झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(पर्यटन प्रभाग)

संकल्प संख्या – पर्य०/विविध–55/2014 ......663....... / *राँची, दिनांक* ...30/3/16.... /

संकल्प

विषय :– राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति एवं जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति के गठन के संबंध में।

राज्य के सभी पर्यटन स्थलों के विकास कार्य हेतु पर्यटन स्थलों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण तथा योजनाओं के चयन हेतु प्राथमिकता निर्धारण की नीति के क्रम में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति का गठन किया गया है (विभागीय संकल्प संख्या–1494, दिनांक–26.08.2015 द्वारा)। इसी तरह राजकीय मेला/महोत्सव घोषित करने की नियमावली (विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1969, दिनांक–07.12.2015) में भी जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसी तरह किसी भी क्षेत्र/स्थल को पर्यटन क्षेत्र/स्थल घोषित करने संबंधित नियमावली में इस तरह की समिति का गठन प्रस्तावित है।

2. इस प्रकार पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के लिए राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर कई समिति गठित हो गई है तथा सभी की संरचना अलग–अलग है। इस कारण से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण यह आवश्यक है कि पर्यटन संबंधित सभी कार्यों हेतु जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति (District Tourism Promotion Committee) एवं राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति (State Tourism Promotion Committee) का गठन किया जाए जो क्रमशः जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर पर्यटन संबंधि सभी मामलों पर विचार कर अनुशंसा करेगी।

3. अतः जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति (DTPC) का गठन निम्न अनुसार किया जाता है :–

i.	उपायुक्त	अध्यक्ष
ii.	वरीय पुलीस अधिक्षक/पुलीस अधिक्षक	सदस्य
iii.	स्थानीय सांसद/विधायक	सदस्य
iv.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी	सदस्य
v.	अध्यक्ष, जिला परिषद/नगर पर्षद/अधिसूचित क्षेत्र/नगर पालिका	सदस्य
vi.	निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	सदस्य
vii.	अपर समाहर्त्ता	सदस्य

शर्मिष्ठा

viii.	संबंधित भवन प्रमण्डल, पथ प्रमण्डल, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, ग्रामीण विकास, विशेष प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता	सदस्य
ix.	जिला अभियंता, जिला परिषद	सदस्य
x.	जिला योजना पदाधिकारी	सदस्य
xi.	जिला होटल एसोसिएसन के अध्यक्ष (यदि लागू हो)	सदस्य
xii.	जिला ट्रेवल एजेंट एसोसिएसन के अध्यक्ष (यदि लागू हो)	सदस्य
xiii.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम के प्रतिनिधि	सदस्य
xiv.	उपायुक्त द्वारा नामित दो गैर सरकारी सदस्य जो पर्यटन के क्षेत्र में रूची रखते हों	सदस्य
xv.	उपायुक्त द्वारा नामित एक पदाधिकारी जो कि जिला पर्यटन पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगा	सदस्य–सचिव

4. जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति (DTPC) पर्यटन संबंधित सभी मामलो पर विचार विमर्श कर अपनी अनुशंसा करेगी। ये मामले निम्न हो सकते है :–

i. पर्यटन विकास हेतु भूमि चिन्हीत करना।

ii. जिला स्तर पर पर्यटन से संबंधित विचार एवं सूचना के लिए नोडल एजेंसी तथा समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना।

iii. पर्यटन की आधारिक संरचना के विकास हेतु विभिन्न एजेंसियों/संस्थाओं के संसाधनों को अभिसरित करना।

iv. जिला स्तर पर पर्यटन से संबंधित सूचना जिला के Website पर अपलोड कराना तथा सूचना निरंतर अद्यतन कराना।

v. जिला में पर्यटन सेवा प्रदाता जैसे Tourist Guides, Freelancers, फोटोग्राफर, Home stay addresses आदि को बढ़ावा देना तथा सेवा प्रदाताओं का Database तैयार करना।

vi. जिलास्तर पर झारखण्ड पर्यटन के प्रचार तथा संवर्धन में सहायता करना तथा लेखकों, मिडिया आदि को जिला के पर्यटन स्थलों के प्रचार–प्रसार हेतु प्रोत्साहित करना एवं सहायता देना।

vii. पर्यटन से संबंधित जिल स्तर पर होने वाले आयोजनों की सूची तैयार करना।

शर्मिष्ठा

viii. पर्यटन उद्योग के हितधारकों के लाभ के लिए Chargeable आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

ix. पर्यटन विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार जिला में पर्यटन से संबंधित क्रिया कलापों, अनुज्ञापन, विनियमन तथा मान्यता प्रदान करना।

x. जिला में स्थित पर्यटन गंतव्यों पर आवश्यकतानुसार स्थानीय समाज को संघटित करना।

xi. जिला में स्थित पर्यटन स्थलों/गंतव्यों के समुचित विकास एवं संवर्धन हेतु मास्टर प्लान तैयार करना तथा ऐसे स्थलों के विकास का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराना।

xii. जिला में स्थित ऐसे पर्यटन स्थलों/गंतव्यों (स्थलों/गंतव्यों पर पर्यटकों के सुविधा के लिए निर्मित संरचनाओं सहित) जिनके प्रबंधन एवं रख–रखाव का कार्य झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० या किसी अन्य एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा हो, का समूचित प्रबंधन एवं रख–रखाव करना।

xiii. जिला में स्थित पर्यटन स्थलों तक पहुँच पथ निर्माण हेतु प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराना।

xiv. किसी स्थल/क्षेत्र को पर्यटन स्थल/क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने हेतु अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराना।

xv. पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नवोन्मेसी विचार/सुझाव विभाग को उपलब्ध कराना।

xvi. कोई अन्य कार्य जो पर्यटन स्थलों/गंतव्यों के विकास तथा सवंर्धन हेतु आवश्यक हो।

xvii. समय–समय पर विभाग द्वारा दिये गये अन्य कार्य।

5. राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति का गठन निम्न अनुसार किया जाता है :–

i.	निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची –	अध्यक्ष
ii.	निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची या उनके प्रतिनिधि –	सदस्य
iii.	प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०, राँची –	सदस्य
iv.	मुख्य अभियंता/प्रभारी अभियंत्रण कोषांग, पर्यटन, कला संस्कृति, – खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	सदस्य
v.	अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित कोई अन्य अधिकारी –	सदस्य
vi.	संयुक्त सचिव/उप सचिव (प्रभारी पर्यटन योजना प्रशाखा), – पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	सदस्य–सचिव

शर्मिष्ठा

6. राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति (STPC) का दायित्व एवं शक्तियाँ –

- **i.** यह समिति जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति (District Tourism Promotion Committee) से प्राप्त सुझावों एवं अनुशंसा पर विचार कर अपनी अनुशंसा विभागीय सचिव के समक्ष उपस्थापित करेगी।
- **ii.** पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नवोन्मेशी विचार/सुझाव विभाग को उपलब्ध कराना।
- **iii.** विभागीय सचिव द्वारा समय–समय पर दिये गये अन्य कार्य।

7. राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति (STPC) के सुझाव एवं अनुशंसा पर विभागीय मंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

8. इन समितियों की संरचना में समय–समय पर परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अतः विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर समय–समय पर इन समितियों की संरचना में परिवर्तन किया जा सकेगा।

9. विभागीय संकल्प संख्या 1494, दिनांक 26.08.2015 द्वारा घोषित नीति एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1969 दिनांक–07.12.2015 द्वारा जारी नियमावली में राज्य स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति को क्रमशः कंडिका 5 में प्रस्तावित राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति तथा कंडिका 3 में प्रस्तावित जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति से प्रतिस्थापित किया जाता है।

10. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

30/3/16

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव

शर्मिष्ठा